अनुलग्नक–I *(पैरा 2.13 संदर्भ मे लायें)*

प्रथम एवं द्वितीय ट्रांच में ई– नीलामी हेतु प्रस्तुत कोयला खानें

क्र.स.	कोयला खानों के नाम	ट्रांच	अनुसूची	क्षेत्र	टिप्पणियॉं
1	अमेलिया नार्थ	प्रथम	अनुसूची II	विद्युत	निधान आदेश जारी किए गए
2	अर्धग्राम	प्रथम	अनुसूची II	गैर नियमित	निधान आदेश जारी नहीं किए गए
3	बेलगांव	प्रथम	अनुसूची II	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
4	बिचारपुर	प्रथम	अनुसूची II	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
5	चोटिया	प्रथम	अनुसूची II	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
6	गारे पालमा IV/1	प्रथम	अनुसूची II	गैर नियमित	एम ओ सी द्वारा निरस्त किया गया
7	गारे पालमा IV/2 एवं 3	प्रथम	अनुसूची II	विद्युत	एम ओ सी द्वारा निरस्त किया गया
8	गारे पालमा IV/4	प्रथम	अनुसूची II	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
9	गारे पालमा IV/5	प्रथम	अनुसूची II	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
10	गारे पालमा IV/7	प्रथम	अनुसूची II	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
11	कथौटिया	प्रथम	अनुसूची II	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
12	मंडला नार्थ	प्रथम	अनुसूची II	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
13	मरकी मंगली–I	प्रथम	अनुसूची II	गैर नियमित	रद्द किया क्योंकि तीन से कम योग्य बोलीदाता थे
14	मरकी मंगली–III	प्रथम	अनुसूची II	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
15	पर्बतपुर सेंट्रल	प्रथम	अनुसूची II	गैर नियमित	रद्द किया क्योंकि तीन से कम योग्य बोलीदाता थे
16	तोकीसूद नार्थ	प्रथम	अनुसूची II	विद्युत	निधान आदेश जारी किए गए
17	ट्रांस दामोदर	प्रथम	अनुसूची II	विद्युत	निधान आदेश जारी किए गए
18	सरीसातोल्ली	प्रथम	अनुसूची II	विद्युत	निधान आदेश जारी किए गए
19	सियाल घोघरी	प्रथम	अनुसूची II	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
20	तालाबीरा–I	प्रथम	अनुसूची II	विद्युत	निधान आदेश जारी किए गए
21–22	बृंदा एवं ससई	द्वितीय	अनुसूची III	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
23	डोंगरी ताल-II	द्वितीय	अनुसूची III	गैर नियमित	रद्द किया क्योंकि तीन से कम योग्य बोलीदाता थे
24	डुमरी	द्वितीय	अनुसूची III	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
25	गणेशपुर	द्वितीय	अनुसूची III	विद्युत	निधान आदेश जारी किए गए
26	गारे पालमा IV/8	द्वितीय	अनुसूची III	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए

क्र.स.	कोयला खानों के नाम	ट्रांच	अनुसूची	क्षेत्र	टिप्पणियॉ
27	जमखानी	द्वितीय	अनुसूची III	गैर नियमित	अदालत में दायर मुकदमे के कारण एम ओ सी द्वारा वापस ले लिया गया
28	जीतपुर	द्वितीय	अनुसूची III	विद्युत	निधान आदेश जारी किए गए
29	कोसर डोंगेरगांव	द्वितीय	अनुसूची III	गैर नियमित	रद्द किया क्योंकि तीन से कम योग्य बोलीदाता थे
30	लोहारी	द्वितीय	अनुसूची III	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
31	मंदाकिनी	द्वितीय	अनुसूची III	विद्युत	निधान आदेश जारी नहीं किए गए
32	मंडला साउथ	द्वितीय	अनुसूची III	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
33	मेराल	द्वितीय	अनुसूची III	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
34	मोइत्रा	द्वितीय	अनुसूची III	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
35	नेराद मालेगांव	द्वितीय	अनुसूची III	गैर नियमित	निधान आदेश जारी किए गए
36	रोहने	द्वितीय	अनुसूची III	गैर नियमित	इस्पात मंत्रालय के लिए एम ओ सी द्वारा वापस लिया गया
37	तारा	द्वितीय	अनुसूची III	विद्युत	एम ओ सी द्वारा निरस्त किया गया
38	उत्कल–सी	द्वितीय	अनुसूची III	विद्युत	निधान आदेश जारी नही किए गए

*****

अनुलग्नक II *(पैरा 4.1 संदर्भ में लायें)*

सी एम पी डी आई एल द्वारा मूलभूत मूल्य की गणना– लेखा परीक्षा अवलोकनों, एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल के उत्तरों एवं उत्तरों पर लेखा परीक्षा की टिप्पणियों का विवरण।

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
1	कोयले के ग्रेड को मानने में कमियाँ	एक कोयला खान में अलग अलग प्रकार के कोयले के ग्रेड होते है। अलग अलग प्रकार के कोयले के ग्रेडों की उपलब्धता के कारण, कोयले के भारित औसत ग्रेड (उपलब्ध विभिन्न निष्कर्षणीय ग्रेडों का) की गणना करने पर विचार किया गया और इस प्रकार निकाले गए औसत ग्रेड को कोयला खानों के मूल्यांकन के लिए लिया गया। तथापि ग्रेड को निर्धारित करने में निम्न विसंगतियॉ पाई गईः			
		बेलगांव खान खान योजना में औसत कोयलें के ग्रेड को डी निर्धारित किया गया था इसलिए ग्रेड को यू एच वी से जी सी वी में परिवर्तित करने के लिए एम ओ सी द्वारा बनाये गए मानकों के परिणामस्वरूप जी सी वी 5089 (जी 8) होना चाहिये था। परन्तु सी एम पी डी आई एल ने मूल्यांकन के लिए 4597 (जी 10) का जी सी वी लिया जैसा पूर्व आबंटी द्वारा	खान का अल्प मूल्यांकन	कुछ मामलों में ग्रेड को केवल प्रारंभिक विश्लेषण के लिए विचार में लिया गया यह देखने के लिए कि क्या खान की एन पी वी धनात्मक थी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि राजस्व का आंकलन कोयले के सही ग्रेड के आधार पर किया जाना चाहिए था चाहे खान की एन पी वी धनात्मक थी या ऋणात्मक।

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
		उपलब्ध कराया गया था।			
		मंडला साउथ खान कोयले का कुल भण्डार 80.400 मि टन था जिसमें ए से ई ग्रेड सम्मिलित था। 80.400 मि टन में से 30.260 मि टन (38 *प्रतिशत*) ग्रेड सी कोयले का एवं 28.499 मि टन (35 *प्रतिशत*) ग्रेड डी कोयले का तथा शेष अन्य ग्रेड के कोयले का था। इस प्रकार ग्रेड सी कोयले की मात्रा ग्रेड डी से अधिक थी तथापि मूल्यांकन के लिए ग्रेड डी को औसत ग्रेड मान कर जी 8 ग्रेड निर्धारित किया गया। खान में 13.35 मि टन निष्कर्षणीय भण्डार है जिनका ग्रेड अनुसार विवरण खान योजना में नही था। इस प्रकार कुल भण्डार के ग्रेड–अनुसार औसत (ग्रेड–अनुसार निस्कर्षणीय भण्डार के अभाव में) को मानते हुए तथा पाँच *प्रतिशत* नमी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए औसत ग्रेड जी 8 के स्थान पर जी 7 होना चाहिए था।	खान का अल्प मूल्यांकन	कुछ मामलों में ग्रेड को केवल प्रारम्भिक विश्लेषण के लिये विचार में लिया गया था यह देखने के लिए कि क्या खान की एन पी वी धनात्मक थी ।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि राजस्व का आंकलन कोयले के सही ग्रेड के आधार पर किया जाना चाहिए था चाहे खान की एन पी वी धनात्मक थी या ऋणात्मक।
		अर्धग्राम खान खान योजना के अनुसार खान के यू जी भाग में संस्तर[1] संख्या VI से IV	खान का अल्प मूल्यांकन	कुछ मामलों में ग्रेड को केवल प्रारम्भिक विश्लेषण के लिये विचार में लिया गया था यह	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि राजस्व का आंकलन कोयले के सही ग्रेड के आधार पर किया जाना चाहिए था चाहे खान की

[1] कोयले का तल जो कि साधारणतः इतना सघन हो कि उसका लाभदायक रूप से खनन किया जा सके।

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
		निष्कषर्णीय थी। संस्तर अनुसार निष्कषर्णीय भण्डार को ध्यान में रखते हुए औसत ग्रेड जी 7 होना चाहिए था। तथापि सी एम पी डी आई एल ने संस्तर संख्या IV पर विचार न करते हुए मूल्यांकन के लिए जी 8 ग्रेड को लिया। संस्तर संख्या IV में उच्च ग्रेड था जो कि निष्कषर्णीय भण्डार का 44 *प्रतिशत* था (19.29 मि टन में से 8.6 मि टन) ।		देखने के लिए कि क्या खान की एन पी वी धनात्मक थी ।	एन पी वी धनात्मक थी या ऋणात्मक।
		बृंदा एवं ससई खान खान के यू जी भाग के ग्रेड निर्धारण में 10. 20 मि टन निष्कषर्णीय भण्डार के स्थान पर 18.186 मि टन खनन योग्य भण्डार पर विचार किया गया। परिणामस्वरूप मूल्यांकन के लिए जी 8 के स्थान पर जी 7 ग्रेड निर्धारित किया गया।	खान का अधि मूल्यांकन	कुछ मामलों में ग्रेड को केवल प्रारम्भिक विश्लेषण के लिये विचार में लिया गया था यह देखने के लिए कि क्या खान की एन पी वी धनात्मक थी ।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि राजस्व का आंकलन कोयले के सही ग्रेड के आधार पर किया जाना चाहिए था चाहे खान की एन पी वी धनात्मक थी या ऋणात्मक।

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
2.	खान समापन लागतों को मानने में कमियाँ	खान समापन योजना बनाने के लिए एम ओ सी द्वारा (अगस्त 2009) जारी दिशानिर्देश तथा उसके बाद (जनवरी 2013) किए गए संशोधन में यह प्रावधान था कि खान की लागत का आंकलन आधार दर (अगस्त 2009) के आधार पर परियोजना के कुल क्षेत्र के ओपन कास्ट परियोजन (ओ सी पी) के लिए ₹6.00 लाख प्रति हैक्टेयर (हैक) तथा भूमिगत खान (यू जी) के लिए ₹1.00 लाख प्रति हैक होगा ''जिसे डब्ल्यु पी आई (जनवरी 2015) के आधार पर बढ़ा कर ₹9. 00 लाख प्रति हैक्टेयर और ₹1.5 लाख प्रति हैक्टेयर किया गया और जोड़ा गया था।'' इसके अतिरिक्त खान समापन की वार्षिक लागत निकालने के लिए यदि परियोजना नई हो तो समापन की लागत को खान के कुल जीवन काल से तथा संचालित कार्यशील खान के मामले में खान के शेष जीवन काल से भाग दिया जाता है। यह पाया गया कि:			

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
		दिशानिर्देशों के विपरीत, सी एम पी डी आई एल ने 19[2] खानों की खान समापन की लागत की गणना के लिए 25 वर्ष की अवधि को लिया जबकि खानों का जीवन काल 25 वर्षो से अधिक था। तथापि मंडला साउथ खान में जिसका जीवनकाल 50 वर्ष था खान समापन की गणना 30 वर्षो की अवाधि को मानते हुए की गई जो कि इसकी स्वयं की 25 वर्ष की अवधि की धारणा के विपरीत था।	खानों का अल्प मूल्यांकन	कोयला खान परियोजनाओं के तकनीकी – आर्थिक मूल्यांकन हेतु खान समापन की लागत की प्राप्ति के लिए 25 वर्ष की अवधि या खान के जीवनकाल, जो भी कम हो, को मानना एक सुस्थापित प्रचलन रहा है। नीलामी हेतु कोयला खानों के मूल्यांकन के लिए इस दृष्टि कोण का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त तरीके के कारण खान समापन की वार्षिक लागत के अन्तर का कोयला खानों के मूल्याकंन पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा।	तथ्य यह रहता है कि खान समापन की लागत की गणना के लिए खान के जीवन काल को 25 वर्ष मानना खान समापन करने की लागत के दिशानिर्देश के प्रावधानों से अलग था।
		कोयला खानों की खान संक्षिप्ति, खान पट्टा क्षेत्र और खान पट्टा क्षेत्र में से प्रोजैक्ट क्षेत्र को अलग–अलग दर्शाती है। सी एम पी डी आई एल ने खान समापन की लागत की	खानों का अल्प मूल्यांकन	जीतपुर में 541 हेक भूमि में 241 हैक भूमि ऐसी थी जो भूगर्भीय खान से बाहर थी। तोकीसूद नार्थ तथा कथौटिया	उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि जनवरी 2013 के दिशानिर्देश के अनुसार खान समापन की लागत कुल परियोजना क्षेत्र के आधार पर परिकलित की जानी थी

[2] कथौटिया (33 वर्ष), गारे पालमा IV/7 (52 वर्ष), ट्रांस दामोदर (48 वर्ष), जीतपुर (27 वर्ष), मोइत्रा (33 वर्ष), डुमरी (49 वर्ष), उत्कल–सी (41 वर्ष), बेलगांव (39 वर्ष), अर्धग्राम (48 वर्ष), गारे पालमा IV/5 (45 वर्ष), बिचारपुर (41 वर्ष), बृंदा एवं ससई (56 वर्ष), मेराल (29 वर्ष), नेराद मालेगांव (ओ सी-28, यू जी -35 वर्ष), मंडला साउथ (50 वर्ष), लोहारी (45 वर्ष), मंदाकिनी (40 वर्ष), गारे पालमा IV/8 (ओ सी-19, यू जी -50 वर्ष), अमेलिया नॉर्थ (27 वर्ष)

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
		गणना हेतु प्रोजेक्ट क्षेत्र की जगह खनन पट्टा क्षेत्र को लिया जिसके परिणामस्वरूप छः[3] कोयला खानों में खान समापन की अधिक लागत निर्धारित की गई ।		में 237 हैक्टेयर एवं 687.93 हैक्टेयर भूमि को खान निष्कर्षण क्षेत्र के लिए अलग से रखा गया था और वह परियोजना क्षेत्र नहीं था। मंडला साउथ में, कोयला खान में उपलब्ध सूचना के आधार पर आयोजक द्वारा बताए गए परियोजना क्षेत्र को खान समापन की वार्षिक लागत की गणना हेतु लिया गया था। उत्तर में एम ओ सी ने कहा कि उसने क्रमशः तोकीसूद नार्थ, मंडला साउथ, जीतपुर व कथौटिया में पूर्व आबंटी के खान योजना/जानकारी देने के आधार पर 585 हैक्टेयर, 572 हैक्टेयर, 541 हैक्टेयर व 942 हैक्टेयर का सही क्षेत्र लिया ।	तद्नुसार लेखा परीक्षा ने 237 हैक. (तोकीसूद नार्थ) 560 हैक (मंडला साउथ), 687.93 हैक. (कथौटिया), 294.86 हैक (ट्रांस दामोदर) व 300 हैक (जीतपुर) के परियोजना क्षेत्र को लिया जैसा कि संबंधित खान योजना में दिया हुआ था। डुमरी कोयला खान के बारे मे उत्तर मौन था।

[3] 300 हैक की अपेक्षा 541 हैक (जीतपुर), 237 हैक की अपेक्षा 585 हैक (तोकीसूद नॉर्थ), 687.93 हैक की अपेक्षा 942.25 हैक (कथौटिया), 560 हैक की अपेक्षा 572 हैक (मंडला साउथ), 279 हैक की अपेक्षा 462 हैक (डुमरी) एवं 294.86 हैक की अपेक्षा 365.76 हैक (ट्रांस दामोदर).

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
		खान समापन की लागत की गणना के लिए तीन[4] खानों में कम भूमि ली गई जिसके परिणामस्वरूप खान समापन की लागत का कम निर्धारण हुआ।	खानों का अधिमूल्यांकन	उत्कल–सी खान मे 610 हैक्टेयर परियोजना क्षेत्र में वाशरी, रेलवे साइडिंग, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना स्थल तथा स्टॉफ कालोनी के लिए भूमि सम्मिलित थी इसलिए खान समापन की लागत की गणना के लिए इस पर पूर्ण रूप से विचार नहीं किया गया। अर्धग्राम में, आयोजक द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर, कोयला खान के परियोजना क्षेत्र को खान समापन की वार्षिक लागत की गणना हेतु लिया गया था।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि उत्कल सी तथा अर्धग्राम कोयला खानों की अनुमोदित खान योजना में परियोजना क्षेत्र के रूप में 610 हैक्टेयर तथा 800 हैक्टेयर भूमि का प्रावधान था। गारे पालमा IV/7 के बारे में उत्तर मौन था।
		गारे पालमा IV/4 खान 730.65 हैक्टेयर भूमि मे से यू जी (349.44 हैक्टेयर) तथा ओ सी पी (381.21 हैक्टेयर) थी। तथापि, खान समापन की लागत की गणना हेतु यू जी के लिए ₹1.00 लाख प्रति हैक्टेयर तथा ओ सी पी के लिए ₹6.00	खान का अधिमूल्यांकन	तथ्य को स्वीकारते हुए यह कहा गया कि खान समापन की लागत गलती से अधिक निर्धारित की गई।	दिया गया तर्क तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकी खान समापन की कुल लागत की गणना यू जी खानों के लिए ₹1.00 लाख प्रति हैक, तथा ओ सी पी खानों के लिए ₹6.00 लाख प्रति हैक की दर पर करने की अपेक्षा ₹1.00 लाख प्रति

[4] 610.86 हैक की अपेक्षा 576.55 हैक (उत्कल–सी) एवं 800 हैक (90.5 हैक ओ सी पी के लिए एवं 709.5 हैक यू जी के लिए) की अपेक्षा 296 हैक (172.44 हैक यू जी के लिए एवं 123.56 हैक ओ सी पी के लिए) (अर्धग्राम) एवं 335.75 हैक की अपेक्षा 420 हैक (गारे पालमा IV/7)

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
		लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर करने के स्थान पर कुल 730.65 हैक्टेयर भूमि के लिए यू जी भाग हेतु ली जाने वाली ₹1.00 लाख प्रति हैक्टेयर की समान दर पर की गई।			हैक. की समान दर पर की गई जिससे कम लागत ली गई।
3	क्रशिंग प्रभारों की निम्न दरों का लिया जाना	कोयला खानों के मूल्यांकन के लिए क्रमशः बेलगांव, चोटिया तथा गारे पालमा IV/4 में 200 एम एम के कोयले के आकार के लिए ₹51 प्रति टन के स्थान पर ₹39 प्रति टन तथा सरीसातोल्ली के मामले में 50 एम एम से छोटे आकार के लिए ₹79 प्रति टन के क्रशिंग प्रभारों पर विचार किया गया था। इसके अतिरिक्त नेराद मालेगांव और गारे पालमा IV/8 कोयला खानों के मामलों में धातु शोधन प्रक्रिया/क्रशिंग प्रभारों के लिये वसूली को विक्रय मूल्य में नही लिया गया।	खानों का अल्प मूल्यांकन	तथ्यों को स्वीकारते हुए, यह कहा गया कि वर्तमान मे लागू प्रभारों की अपेक्षा पूर्व प्रचलित क्रशिंग प्रभारों पर भूलवश विचार किया गया था तथा नेराद मालेगांव एवं गारे पालमा IV/8 के मामले में क्रशिंग प्रभारों पर भूलवश विचार ही नहीं किया गया था।	सी एम पी डी आई एल द्वारा स्वीकार कर लिया गया।
4.	भूमि की कीमत को मानने में कमियाँ	यह माना गया था कि (i) किराये की भूमि का मूल्य निर्धारण वास्तविक दर पर किया जाए जो कि अधिकतम ₹25 लाख प्रति हैक्टेयर तक हो सकता था तथा (ii) सरकारी भूमि का मूल्य निर्धारण वास्तविक दर पर किया जाए। यह देखा गया कि:		मरकी मंगली–III के सम्बन्ध में तथ्यों को स्वीकारते हुए यह कहा गया कि सरकारी भूमि की लागत पर भूलवश/गलती से विचार नहीं किया गया।	जवाब हालांकि गारे पालमा IV/8 खान के मामले में 11.88 हैक्टेयर की सरकारी भूमि के विचार नहीं किये जाने के संबंध में मौन था। उत्कल सी के मामले में यह कहा गया कि पूर्व आंबटी द्वारा लगायी गयी वास्तविक कीमत को लिया गया था।

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
		(i) उत्कल सी कोयला खान में किराये की भूमि का मूल्य निर्धारण ₹36.45 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर किया गया जो कि ₹25 लाख से अधिक थी। (ii) ट्रांस दामोदर में पूर्व आबंटी के द्वारा रखी गयी 119.41 हैक्टेयर वाली किराये की भूमि को ₹34.28 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर अंकित किया गया था जो ₹25 लाख से अधिक थी। (iii) गारे पालमा IV/8 एवं मरकी मंगली–III खान में सरकारी भूमि के क्षेत्रफल की लागत पर विचार नहीं किया गया।	खान का अल्प मूल्यांकन खान का अल्प मूल्यांकन खान का अधिमूल्यांकन		उत्कल–सी के सम्बन्ध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह उसकी स्वयं की मान्यता के विपरीत था जिसके अनुसार किराये की भूमि की लागत ₹25 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिये थी।
		बृदां–ससई खान अनुमोदित खान योजना के अनुसार, यू जी खान के लिए 1210.74 हैक्टेयर, भूमि की आवश्यकता थी तथापि मूल्यांकन के लिए केवल 606.07 हैक्टेयर भूमि की लागत पर विचार किया गया।	खान का अधिमूल्यांकन	खान योजना के अनुसार खान की प्रस्तावित कार्यविधि से भूमि धसने के कारण होने वाला नुकसान नहीं होगा और अधिकतम निष्कर्षण किया जा सकेगा। इसलिए 604.67 हेक्टेयर गैर–वन भूमि के सतह अधिकारों की आवश्यकता नही थी। इसलिए मूल्यांकन के लिए	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमोदित खान योजना में खनन हेतु 1210.74 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता का प्रावधान था।

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
				604.67 हेक्टेयर भूमि के पूँजीगत लागत के प्रावधान पर विचार नहीं किया गया।	
5.	ओपनकॉस्ट खानों में भारी अर्थमूविंग मशीनों (एच ई एम एम) की कीमतों को लिया जाना	ओ सी पी से कोयले का उत्पादन आउटसोर्सिंग प्रणाली से करने पर विचार किया गया। इस प्रकार ओ सी पी के मूल्यांकन में एच ई एम एम की पूँजीगत लागत को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि तालाबीरा–I ट्रांस दामोदर तथा गारे पालमा IV/4 ओ सी पी कोयला खानों के मूल्यांकन में एच ई एम एम की पूजीगत लागत क्रमंश ₹6.19 करोड, ₹16. 36 करोड तथा ₹2.35 करोड ली गई।	खानों का अल्प–मूल्य ांकन	तथ्यों को स्वीकारते हुए यह कहा गया कि उपरोक्त खानों के सम्बन्ध में मूल्यांकन के लिए एच ई एम एम की लागत को भूलवश/गलती से लिया गया था।	सी एम पी डी आई एल द्वारा स्वीकार कर लिया गया।
6.	राजस्व के रूप मे कोयले पर लागू होने वाले अप्रत्यक्ष कर तथा लेवी में अपूर्ण व्यवहार (नकदी प्राप्ति)	कोयले का खनन करने तथा उसे हटाने में विभिन्न अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता है जैसा कि रॉयल्टी, नौभरण उत्पादन शुल्क (एस ई डी), स्वच्छ ऊर्जा शुल्क/उत्पाद शुल्क (ई डी)। इन्हें कोयले के अधिसूचित/ विक्रय मूल्य के अतिरिक्त उपभोक्ताओं से लिया जाता है तथा इसका भुगतान सरकार को किया जाता है। इन करों के संग्रहण से नकदी प्राप्त होती है तथा सरकार को इसके भुगतान से नकदी	खानों का अल्प मूल्यांकन	सी एम पी डी आई एल ने कहा कि कोयला खानों का मूल्यांकन एम ओ सी की 26 दिसम्बर 2014 के विधितंत्र के आधार पर किया गया जिसमें सी आई एल के विद्यमान अधिसूचित मूल्य (घरेलू कोयले का मूल्य) को लिए जाने का प्रस्ताव था तथा विधितंत्र में करों एवं शुल्क के	क) चूँकि कोयला खानों का मूल्यांकन विभिन्न मान्यताओं पर आधारित था जिसमें राजस्व मूल्य सी आई एल अधिसूचित मूल्य के रूप में सम्मिलित था तद्नुसार करों एवं शुल्कों के सन्दर्भ में आने वाली नकदी को भी लिया जाना चाहिए था। ख) 26 दिसम्बर 2014 के विधितंत्र में यह वर्णित नहीं था कि केवल अधिसूचित मूल्य ही आने वाली नकदी होगी। वास्तविकता में सी एम पी डी आई एल कोयले के

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
		दी जाती है। इस प्रकार कोयला खनन के परिणाम स्वरूप आने वाली तथा जाने वाली नकदी को सम्मिलित करते हुए कोयला खान के वर्तमान मूल्य की गणना करनी चाहिए थी। यह पाया गया कि कोयले पर लागत के रूप में देय अप्रत्यक्ष कर जैसे कि रायॅल्टी, नौभरण उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क को लागत के घटक के रूप में लिया गया था अर्थात जाने वाली नकदी। तथापि, एन पी वी की गणना के लिए इन करों को आने वाली नकदी के रूप में नही लिया गया। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ ऊर्जा शुल्क को न तो जाने वाली और न ही आने वाली नकदी के रूप में लिया गया।		संन्दर्भ में आने वाली नकदी को समाविष्ट करने का कोई वर्णन नही था। इसके अतिरिक्त, खानों की यह मानकर नीलामी की गई कि उत्पादित कोयले का प्रयोग आबंटी के द्वारा अन्त्य उपयोग संयंत्र (ई यू पी) में अन्य बिक्री योग्य वस्तु की मूल्य वृद्वि के लिए कच्चे माल के रूप में किया जायेगा जो कि इसके विपरीत था जहॉ कोयला कम्पनिया कोयला उत्पादक द्वारा चुकाए गए करों की वसूली कोयले के खरीदार से करती है और इसलिए इन्हें आने वाली नकदी में दिखाया जाता है। एम ओ सी ने अपने जवाब में कहा कि वो खानें केप्टिव प्रयोग के लिए बेची गई थी और कोयले की कोई बिक्री नही हुई। इसलिए, कोई भी कर देय नहीं था और सफल बोलीदाताओं को कोई राजस्व	अधिसूचित मूल्य तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इसने क्रशिंग शुल्क को भी आने वाली नकदी का भाग माना। ग) मंत्रालय का यह तर्क कि खानें केप्टिव प्रयोग के लिए बेची गई थी लेखापरीक्षा कथन को सृदृढ़ करता है क्योंकि सी एम पी डी आई एल ने कोयला खानों की मूलभूत मूल्य की गणना में अप्रत्यक्ष करों जैसे ई डी, रॉयल्टी तथा एस ई डी को लागत का घटक माना था। यद्यपि इन करों को राजस्व के लिए नहीं लिया गया । घ) ई यू पी के लिए, करो को समाविष्ट करते हुए कोयले की लागत अन्य बिक्री योग्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल की लागत होगी जो कि ग्राहक से अंत में वसूली योग्य है इसलिये घटक के उन करों को राजस्व तथा लागत के रूप में लिया जाना चाहिए था अथवा वैकल्पिक रूप से गणना करते समय उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए था।

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
				प्राप्त नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त बहुत से विवरणित मुद्दे सैद्धांतिक थे तथा लेखों में उनके व्यवहार की दृष्टि से वैद्यानिक अंतर था।	
7	जनशक्ति की कीमत को लेने में कमियाँ	ओ सी पी से कोयला उत्पादन आउट सोर्सिंग प्रणाली के माध्यम से तथा यू जी खानों का विभागीय प्रणाली से किया जाना अनुमानित था। इसके अतिरिक्त यू जी खानों के लिए जनशक्ति लागत, ₹2700 की दर प्रति अर्निंग पर मैन शिफ्ट (ई एम एस) पर आधारित मानी गयी जो विभागीय लागत के लिए लागू थी तथा ओ सी पी खानों के लिये ₹500 की दर पर ई एम एस मानी गयी। यह पाया गया किः			
		अमेलिया नार्थ ओ सी पी खान विभागीय[5] जनशक्ति की वेतन एवं मजदूरी लागत की गणना ई एम एस पर ₹2700 की अपेक्षा ₹500 की दर पर की गई थी।	खान का अधिमूल्यांकन	तथ्य को स्वीकारते हुए यह कहा गया कि जनशक्ति हेतु ई एम एस को गलती से ₹2700 की अपेक्षा ₹ 500 की दर पर इस अनुमान पर दर्ज किया गया कि यह आउटसोर्सड जनशक्ति है ।	सी एम पी डी आई एल द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

[5] ओ सी पी में विभागीय श्रमशक्ति की आवश्यकता पर्यवेक्षण के उद्देश्य तथा सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी होती है।

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
		गारे पालमा IV/5 यू जी खान खान योजना में पूरी क्षमता पर खान को चलाने के लिए 2200 जनशक्ति की आवश्यकता को अनुबद्ध किया गया। सी एम पी डी आई एल के तकनीकी मूल्यांकन दल ने 2140 जनशक्ति की आवश्यकता का सुझाव दिया। हालाँकि, ब्लॉक के मूल्यांकन में, 1040 जनशक्ति की लागत को विभागीय (ई एम एस ₹2700 लेते हुए) माना गया तथा शेष 1100 जनशक्ति को गलत ढंग से आउटसोर्स द्वारा लिया हुआ (ई एम एस ₹500) माना गया। इसके यू जी खान होने से, संपूर्ण जनशक्ति लागत विभागीय ई एम एस दर पर लेनी चाहिये थी।	खान का अधिमूल्यांकन	जिले के सतत यंत्रचालित खनिक के लिए, जिसे अनुबंधात्मक रूप से संचालित माना गया, 60 जनशक्ति (2200 जनशक्ति से) की कटौती के पश्चात् 2140 की कुल जनशक्ति को मूल्यांकन के लिए माना गया।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अनुमान से अलग था जहाँ यू जी खान में उत्पादन विभागीय स्रोतों द्वारा करना था अतः जनशक्ति की कुल लागत 2140 विभागीय ई एम एस दर पर लेनी चाहिये थी।
8	अपनाए गए पूर्वानुमानों के कार्यान्वयन में भिन्नता खनन योजना से विपथन	मूलभूत मूल्य की गणना के लिए सी एम पी डी आई एल ने मान्यताओं के एक सेट को अपनाया। इनमें अन्य बातों के सहित इक्विटी एवं पूँजी ऋण का अनुपात, 80:20 के रूप मे लिया जाना, सी एम पी डी आई एल द्वारा बनायी गई मानक कीमत सूची से संयंत्र एवं मशीनरियों की कीमत को लिया जाना आदि सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त, खान योजना के प्रावधानों के अनुपालन या पर्यावरणीय/वन स्वीकृति से संबंधित			

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
		आवश्यकताओं का भी कोयला खान के मूल्यांकन में ध्यान रखा जाना था। यह पाया गया कि :			
		तालाबीरा–I खान 80:20 के इक्विटी एवं ऋण अनुपात का पालन नहीं किया गया तथा संपूर्ण पूँजी को इक्विटी के रूप में लिया गया।	खान का अधिमूल्यांकन	परियोजना का शेष जीवनकाल 3–4 वर्ष का था इसलिए 100 *प्रतिशत* इक्विटी का विचार किया गया था।	उत्तर स्वाकार्य नहीं है क्योंकि 100 *प्रतिशत* इक्विटी पर विचार करना स्वयं उसके अपनाए हुए अनुमान का विचलन था।
		अर्धग्राम खान खान योजना ने कोयले की 1.52 एम टी के खनन के लिए ओ सी पी खान के भाग से 15.23 एम एम^3 के अधिभार (ओ बी)[6] को हटाना अनुबद्ध किया। पूर्व आबंटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, 2013–14 तक 1.28 एम एम^3 ओ बी पहले ही हटा लिया गया था तथा 1.25 एम एम^3 ओ बी को 2014–15 में हटाया जाना प्रस्तावित था। इस प्रकार कुल 2.53 एम एम^3 (1.28 एम एम^3 1.25 एम एम^3) ओ बी को 2014–15 तक हटाया जाना अनुमानित था तथा ओ बी की शेष 12.70 एम एम^3 (15.23 एम एम^3–2.53 एम एम^3) को उसके	खान का अधिमूल्यांकन	खान योजना में ओ बी को हटाने के लिए कलैण्डर कार्यक्रम के न होने से, शेष वर्षों में मूल्यांकन हेतु पूर्व आवंटियों द्वारा हटायी गई ओ बी की वास्तविक मात्रा को बहिर्वेशित किया गया।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ओ बी की 10.25 एम एम^3 को हटाने की लागत को ध्यान में नहीं रखा गया जो अनुमोदित खान योजना के प्रावधानों से विचलन मे है।

[6] खनन में, अधिभार, (ओ बी) (अवशिष्ट या दूषित भी कहा जाता है) वह पदार्थ है जो उस क्षेत्र के ऊपर रहता है जो कि आर्थि उपयोग में सहायक है जैसे कि मृदा, शिला तथा वह पारितंत्र जो एक कोयला सीवन वा अयस्क काय के ऊपर रहता है।

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
		पश्चात हटाया जाएगा। हालाँकि, खान के मूल्यांकन में, ओ बी की 12.70 एम एम^3 को हटाने की लागत की अपेक्षा ओ बी की 2.45 एम एम^3 को हटाने की लागत को विचार मे लिया गया था।			
		बिचारपुर यू जी खान खान योजना के साथ संलग्न संशोधित उत्पादन अनुसूची के अनुसार,पहले एवं दूसरे वर्ष का परियोजना निर्माण अवधि के लिए विचार किया गया तथा कोयले का उत्पादन तीसरे वर्ष में 0.25 एम टी, चौथे वर्ष में 0.50 एम टी तथा पाँचवे वर्ष से पूरी क्षमता पर 0.75 एम टी प्रतिवर्ष अनुबद्ध था। परियोजना का जीवनकाल 41 वर्ष है। हालाँकि, मूल्यांकन में खान योजना की संशोधित उत्पादन अनुसूची के उल्लंधन में 0.75 एम टी की पूरी क्षमता के साथ उत्पादन को तीसरे वर्ष से लिया गया था। चूँकि कोयला खान का जीवनकाल 25 वर्षों से अधिक है इसलिए 0.75 एम टी (0.50 एम टी तीसरे वर्ष 0.25 एम टी चौथे वर्ष में) के अतिरिक्त उत्पादन को मूल्यांकन हेतु विचार में लाया गया।	खान का अधिमूल्यांकन	अनुमोदित खनन योजना तथा खान समापन योजना में समाविष्ट अनुलग्नक के अनुसार उत्पादन अनुसूची पर विचार किया गया।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खान योजना के साथ संलग्न संशोधित उत्पादन अनुसूची ने मूल्यांकन हेतु विचारित 0.75 एम टी की अपेक्षा तीसरे वर्ष में 0.25 एम टी तथा चौथे वर्ष में 0.50 एम टी के उत्पादन को अनुबद्ध किया था।

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
		बिचारपूर यू जी खान पर्यावरणीय स्वीकृति आदेश (जुलाई 2013) ने प्रथम पॉच वर्षों के दौरान सी एस आर के अन्तर्गत ₹9.37 करोड़ के पूँजी व्यय को अनुबद्ध किया था। हालाँकि, मूल्यांकन में इस लागत पर विचार नहीं किया गया।	खान का अधिमूल्यांकन	सी एस आर एक व्यय था जिस पर कंपनी द्वारा उसके लाभ के आधार पर विचार किया जाना था तथा वह कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों का एक भाग था। मूल्यांकन के अनुसार खान की एन पी वी ऋणात्मक थी तथा किसी लाभ का अनुमान नहीं था इसलिए एन पी वी की गणना के लिए सी एस आर व्यय पर विचार नहीं किया गया।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी लागत तत्वों पर विचार करते हुए मूलभूत मूल्य को प्राप्त किया जाना था।
		नेराद मालेगांव खान पर्यावरणीय स्वीकृति ने आवृत्ति लागत के रूप मे ₹5 प्रति टन कोयले के उत्पादन के प्रावधान के साथ सी एस आर हेतु ₹37.00 लाख का प्रावधान अनुबद्ध किया। हालाँकि, खान के मूल्यांकन में इस व्यय पर विचार नहीं किया गया।	खान का अधिमूल्यांकन	सी एस आर एक व्यय था जिस पर कंपनी द्वारा उसके लाभ के आधार पर विचार किया जाना था तथा वह कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों का एक भाग था। मूल्यांकन के अनुसार खान की एन पी वी ऋणात्मक थी तथा किसी लाभ का अनुमान नहीं था इसलिए एन पी वी की गणना के लिए सी एस	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी लागत तत्वों पर विचार करते हुए मूलभूत मूल्य को प्राप्त किया जाना था।

क्र.स.	अवलोकन का प्रकार	अवलोकन का विवरण	प्रभाव	एम ओ सी/सी एम पी डी आई एल का उत्तर	उत्तर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
				आर व्यय पर विचार नहीं किया गया।	
		कथौटिया खान आवासीय भवनों हेतु अपनायी हुई पाँच प्रतिशत दर की अपेक्षा अवमूल्यन की दस प्रतिशत दर को लिया गया।	खान का अधिमूल्यांकन	तथ्य को स्वीकारते हुए यह कहा गया कि दस प्रतिशत की दर से अवमूल्यन भूलवश व गलती से आवासीय भवन को लगा दिया गया।	सी एम पी डी आई एल द्वारा स्वीकार कर लिया गया
9	अनुचित लागत को लेना	**मांडला साउथ खान** ₹12.12 करोड़ की वास्तविक लागत की अपेक्षा ₹1.21 करोड़ को पर्वेक्षण एवं वेधन लागत के रूप में लिया गया।	खान का अधिमूल्यांकन	मुद्रण त्रुटि को उत्तरदायी ठहराया गया।	सी एम पी डी आई एल द्वारा स्वीकार कर लिया गया
		बिचारपुर यू जी खान पूर्व आबंटियों ने ₹1295 प्रति टन की दर पर सतत खनिक के संचालन की आउटसोर्सिंग लागत से संबंधित ऑकड़ो को उपलब्ध कराया, हालाँकि मूल्यांकन में ₹1422.54 प्रति टन की दर पर विचार किया गया।	खान का अधिमूल्यांकन	दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड में विद्यमान सतत खनिक के अनुबन्धात्मक संचालनों की दर पर विचार किया गया था।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सी एम पी डी आई एल ने पूर्व आबंटियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों पर विचार नहीं किया, जो खान के मूल्यांकन हेतु अपनाए हुए आधारों मे से एक था।

*****

अनुलग्नक III *(पैरा 4.1 संदर्भ में लायें)*

सभी लेखापरीक्षा अवलोकनों का खानों के अल्पमूल्यांकन के रूप में कुल प्रभाव दर्शाता विवरण

क्र. सं.	कोयला खान का नाम	क्षेत्र	सी एम पी डी आई एल				अधिसूचित* मूल्य पर लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त न्यूनतम मूल्य/एन पी वी/अग्रिम (अप्रत्यक्ष करों के भामिल किये जाने के बाद)			कुल प्रभाव		
			न्यूनतम मूल्य	संशोधित निश्चित दर (विद्युत क्षेत्र कोयला खानों के लिए)	एन पी वी	अग्रिम	न्यूनतम मूल्य	एन पी वी	अग्रिम	अग्रिम राशि में अंतर	न्यूनतम मूल्य में अंतर (गैर नियमित क्षेत्र की खानों के लिए)	संशोधित निश्चित दर में अंतर (विद्युत क्षेत्र की खानों के लिए)
			(ए)	(बी)		(सी)	(डी)		(ई)	(ई) - (सी)	(डी) - (ए)	(डी)-(बी)
			₹/टन		₹ लाख में		₹/टन	₹ लाख में		₹ लाख में	₹/टन	₹/टन
1	अमेलिया नार्थ	विद्युत	345.15	345.15	85329.52	8532.95	476.97	117916.90	11791.69	3258.74	-	131.82
2	उत्कल सी	विद्युत	147.91	150	32586.50	3258.65	265.05	58392.60	5839.26	2580.61	-	115.05
3	डुमरी	गैर नियमित	150.00	लागू नही	3593.94	1229.96	154.70	12685.26	1268.53	38.57	4.70	-
4	गणेशपुर	विद्युत	273.10	273.10	87777.62	8777.76	371.23	119317.28	11931.73	3153.97	-	98.13
5	गारे पालमा IV/7	गैर नियमित	206.34	लागू नही	24973.05	2497.30	241.16	29186.22	2918.62	421.32	34.82	-
6	जीतपुर	विद्युत	114.81	150	27208.24	2720.82	210.34	49849.01	4984.90	2264.08	-	60.34
7	तालाबीरा I	विद्युत	262.86	262.86	25030.65	2503.07	361.07	34382.08	3438.21	935.14	-	98.21
8	तोकीसूद नार्थ	विद्युत	326.49	326.49	70324.59	7032.46	469.06	101036.24	10103.62	3071.16	-	142.57
9	ट्रांस दामोदर	विद्युत	147.08	150	14833.49	1483.35	207.67	20944.44	2094.44	611.09	-	57.67

क्र. सं.	कोयला खान का नाम	क्षेत्र	सी एम पी डी आई एल				अधिसूचित* मूल्य पर लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त न्यूनतम मूल्य/एन पी वी/अग्रिम (अप्रत्यक्ष करों के भाामिल किये जाने के बाद)			कुल प्रभाव		
			न्यूनतम मूल्य	संशोधित निश्चित दर (विद्युत क्षेत्र कोयला खानों के लिए)	एन पी वी	अग्रिम	न्यूनतम मूल्य	एन पी वी	अग्रिम	अग्रिम राशि में अंतर	न्यूनतम मूल्य में अंतर (गैर नियमित क्षेत्र की खानों के लिए)	संशोधित निश्चित दर में अंतर (विद्युत क्षेत्र की खानों के लिए)
			(ए)	(बी)		(सी)	(डी)		(ई)	(ई) - (सी)	(डी) - (ए)	(डी)-(बी)
			₹/टन		₹ लाख में		₹/टन	₹ लाख में		₹ लाख में	₹/टन	₹/टन
10	कथौटिया	गैर नियमित	678.87	लागू नही	54774.87	5477.49	1028.83	83015.05	8301.51	2824.02	349.96	-
11	मंदाकिनी	विद्युत	358.26	358.26	216277.35	21627.73	476.69	287773.77	28777.38	7149.65	-	118.43
12	मोइत्रा	गैर नियमित	413.71	लागू नही	33125.99	3312.60	1678.15	134363.88	13436.39	10123.79	1264.44	-
13	सरीसातोल्ली	विद्युत	426.49	426.49	123427.40	12342.74	458.77	132768.49	13276.85	934.11	-	32.28
14	चोटिया	गैर नियमित	150.00	लागू नही	2810.85	1349.54	199.58	17956.19	1795.62	446.08	49.58	-
15	गारे पालमा IV/8	गैर नियमित	150.00	लागू नही	2721.38	1480.50	187.59	18515.23	1851.52	371.02	37.59	-
						83626.92			**121810.27**	**38183.35**		

* (क्रम संख्या 12) मोइत्रा में अधिूसचित कीमत के स्थान पर धुला हुआ कोकिंग कोयला, मध्यम, गारे व रद्द की कीमतें ली गई हैं (इस *प्रतिवेदन* का पैरा 4.2 संदर्भ में लायें)

*****

अनुलग्नक IV *(पैरा 5.1 संदर्भ में लाये)*

ई–नीलामी की बोली का विश्लेषण जिसमें जे वी कंपनियां भागीदार थीं

किंवदंती:

और	वही कंपनी/जे वी
	मामले जहां प्रभावी बोली केवल 2–3 बोलीदाताओं के बीच लगाई गई

क्र. सं.	कोयला खान का नाम	चुनी गई कंपनियां/बोलीदाता	बोलियों की संख्या	कुल क्यू बी	जे वी/एक ही कंपनी के क्यू बी	कुल स्वतंत्र क्यू बी
1	कथौटिया; झारखण्ड; अनुसूची-II	हिंडाल्को – ओडिशा	111	5	3	3
		हिंडाल्को – एमपी	1			
		अल्ट्राटेक सीमेंट	1			
		मोनेट इस्पात	0			
		उषा मार्टिन	111			
		कुल बोलियाँ	**224**			
2	मंडला नार्थ; मध्य प्रदेश; अनुसूची-II	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज़	85	5	3	3
		अल्ट्राटेक सीमेंट	162			
		हिंडाल्को	3			
		अल्ट्राटेक सीमेंट	3			
		हिन्दुस्तान जिंक	92			
		कुल बोलियाँ	**345**			
3	चोटिया; छत्तीसगढ़; अनुसूची-II	बाल्को	132	5	3	3
		बाल्को	0			
		गोदावरी पावर एवं इस्पात	147			
		सारदा एनर्जी एवं मिनरल	32			
		सेसा स्टरलाइट	6			
		कुल बोलियाँ	**317**			
4	गारे पालमा IV/5; छत्तीसगढ़; अनुसूची-II	अम्बुजा सीमेंट	17	6	2+2	4
		बाल्को	9			
		बाल्को	0			
		हिंडाल्को – ओडिशा	248			
		हिंडाल्को – एमपी	4			
		मोनेट इस्पात	233			
		कुल बोलियाँ	**511**			
5	बिचारपुर; मध्य प्रदेश; अनुसूची-II	अल्ट्राटेक सीमेंट	122	6	3	4
		हिंडाल्को – ओडिशा	1			
		हिंडाल्को – एमपी	1			
		जेपी सीमेंट	104			
		मोनेट इस्पात	3			

क्र. सं.	कोयला खान का नाम	चुनी गई कंपनियां / बोलीदाता	बोलियों की संख्या	कुल क्यू बी	जे वी / एक ही कंपनी के क्यू बी	कुल स्वतंत्र क्यू बी
		एसीसी सीमेंट	66			
		कुल बोलियाँ	**297**			
6	गारे पालमा IV/4; छत्तीसगढ़; अनुसूची-II	हिंडाल्को – ओडिशा	165	6	2+2	4
		हिंडाल्को – एमपी	2			
		एसीसी सीमेंट	157			
		सारदा एनर्जी तथा मिनरल	9			
		बाल्को	2			
		बाल्को	0			
		कुल बोलियाँ	**335**			
7	गारे पालमा IV/7; छत्तीसगढ़; अनुसूची-II	बाल्को	1	7	3+3	3
		बाल्को	0			
		हिंडाल्को – ओडिशा	171			
		हिंडाल्को – एमपी	2			
		मोनेट इस्पात	167			
		सेसा स्टरलाइट	13			
		अल्ट्राटेक सीमेंट	1			
		कुल बोलियाँ	**355**			
8	गारे पालमा IV/8; छत्तीसगढ़; अनुसूची-III	अम्बुजा सीमेंट	114	6	2	5
		बाल्को	0			
		हिंडाल्को	91			
		जयसवाल नेको	1			
		रूंगटा माईनिंग	3			
		सेसा स्टरलाइट	17			
		कुल बोलियाँ	**226**			
9	सरीसातोल्ली; पश्चिम बंगाल; अनुसूची-II	अदानी पॉवर	0	5	3	3
		सीईएसई लिमिटेड	84			
		शीशम	1			
		हल्दिया	0			
		जीएमआर	82			
		कुल बोलियाँ	**167**			
10	मंदाकिनी; ओडिशा; अनुसूची-III	अदानी पॉवर	56	5	2	4
		जीएमआर माईनिंग	20			
		जिंदल पावर	3			
		मंदाकिनी एक्सप्लोरेशन	81			
		विज़िओन कोमोट्रेड	0			
		कुल बोलियाँ	**160**			
11	बृंदा एवं ससई; झारखण्ड;	उषा मार्टिन	1	4	2	3
		बाल्को	0			
		सेसा स्टरलाईट	0			

क्र. सं.	कोयला खान का नाम	चुनी गई कंपनियां / बोलीदाता	बोलियों की संख्या	कुल क्यू बी	जे वी / एक ही कंपनी के क्यू बी	कुल स्वतंत्र क्यू बी
	अनुसूची-III	ईस्टर्नरेंज कोल माइनिंग	0			
		कुल बोलियाँ	**1**			

*****

अनुलग्नक V *(पैरा 7.1 संदर्भ में लाये)*

प्रथम एवं द्वितीय ट्रेंच में ई–नीलाम की गई कोयला खानों के संबंध में निधान आदेश जारी करने की तिथियाँ

क्रम संख्या	कोयला खान का नाम	राज्य	अनुसूची	अन्त्य उपयोग क्षेत्र	निधान आदेश की तिथि
1	सियाल घोघरी	मध्य प्रदेश	II	गैर नियमित	23.03.2015
2	तालाबीरा–I	ओडिशा	II	विद्युत	23.03.2015
3	कथौटिया	झारखण्ड	II	गैर नियमित	23.03.2015
4	बेलगांव	महाराष्ट्र	II	गैर नियमित	23.03.2015
5	सरीसातोल्ली	पश्चिमी बंगाल	II	विद्युत	23.03.2015
6	मरकी मंगली III	महाराष्ट्र	II	गैर नियमित	17.04.2015
7	ट्रांस दामोदर	पश्चिमी बंगाल	II	विद्युत	23.03.2015
8	मंडला नार्थ	मध्य प्रदेश	II	गैर नियमित	23.03.2015
9	अमेलिया नार्थ	मध्य प्रदेश	II	विद्युत	23.03.2015
10	अर्धग्राम	पश्चिमी बंगाल	II	गैर नियमित	जारी नहीं किया
11	चोटिया	छत्तीसगढ़	II	गैर नियमित	23.03.2015
12	तोकीसूद नार्थ	झारखण्ड	II	विद्युत	23.03.2015
13	गारे पालमा IV/5	छत्तीसगढ़	II	गैर नियमित	23.03.2015
14	बिचारपुर	मध्य प्रदेश	II	गैर नियमित	23.03.2015
15	गारे पालमा IV/4	छत्तीसगढ़	II	गैर नियमित	23.03.2015
16	गारे पालमा IV/7	छत्तीसगढ़	II	गैर नियमित	23.03.2015
17-18	बृंदा एवं ससई	झारखण्ड	III	गैर नियमित	22.04.2015
19	जीतपुर	झारखण्ड़	III	विद्युत	22.04.2015
20	मोइत्रा	झारखण्ड	III	गैर नियमित	22.04.2015
21	मंदाकिनी	ओडिशा	III	विद्युत	जारी नहीं किया
22	मेराल	झारखण्ड	III	गैर नियमित	22.04.2015
23	डुमरी	झारखण्ड	III	गैर नियमित	22.04.2015
24	नेराद मालेगांव	महाराष्ट्र	III	गैर नियमित	22.04.2015
25	गणेशपुर	झारखण्ड	III	विद्युत	22.04.2015
26	गारे पालमा IV/8	छत्तीसगढ़	III	गैर नियमित	22.04.2015
27	मंडला साऊथ	मध्य प्रदेश	III	गैर नियमित	22.04.2015
28	लोहारी	झारखण्ड	III	गैर नियमित	22.04.2015
29	उत्कल–सी	ओडिशा	III	विद्युत	जारी नहीं किया

अनुलग्नक VI *(पैरा 7.2 संदर्भ में लाये)*

अनुसूची II की कोयला खानों के लिए केन्द्र सरकार के साथ लंबित प्रक्रिया

क्रम संख्या	वैधानिक स्वीकृति	पूर्ण किये जाने के लिए महीनों में समय सीमा (सी एम डी पी ए के अनुसार)	स्वीकृति के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण	कोयला खान का नाम	लंबित होने के कारण (प्रारंभ पूर्व प्रतिवेदन के अनुसार)
1	सी सी ओ से शुरू करने की स्वीकृति	03	कोयला मंत्रालय सी सी ओ	गारे पालमा IV/7	सी सी ओ के साथ प्रक्रिया के अधीन
				ट्रांस दामोदर	आवेदन किया हुआ है
2	भू–जल स्वीकृति	03	केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण (सी जी डब्ल्यू ए)	कथौटिया	एन ओ सी प्रतीक्षित
				ट्रांस दामोदर	जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय समितियों ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अंतिम स्वीकृति प्रतीक्षित थी।
3	खान समापन की योजना (एम सी पी)	06	कोयला मंत्रालय	गारे पालमा IV/7	• एम ओ सी ने सूचित किया कि पूर्व आबंटी द्वारा प्रस्तुत एम सी पी स्वीकृति नहीं था। उसी एम सी पी को अपनाने या संसोधित एम सी पी प्रस्तुत करने की भी सलाह दी गई। एम ओ सी को यह सूचना दे दी गई कि मोनेट इस्पात एवं ऊर्जा लिमिटेड (एम आई ई एल) उसी एम सी पी को अपनायेगा जो पूर्व आबंटी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। • एम ओ सी में स्वीकृति के लिए प्रक्रिया के अधीन।

*****

अनुलग्नक VII *(पैरा 7.2 संदर्भ में लाये)*

अनुसूची II की कोयला खानों के लिए राज्य सरकार के साथ लंबित प्रक्रिया

क्रम संख्या	वैधानिक स्वीकृति	पूर्ण किये जाने के लिए महीनों में समय सीमा (सी एम डी पी ए के अनुसार)	स्वीकृति के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण	कोयला खान का नाम	लंबित होने के कारण (प्रारंभ पूर्व प्रतिवेदन के अनुसार)
1	डी जी एम एस से शुरू करने की स्वीकृति	03	डी जी एम एस का आँचलिक कार्यालय	गारे पालमा IV/7	खान सुरक्षा निदेशक रायगढ़ को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था। स्वीकृति प्रतीक्षित थी। एम एल के कार्यान्वयन के पश्चात् प्राप्त होने की संभावना थी।
				ट्रांस दामोदर	आवेदन किया हुआ है
2	संचालन के लिए सहमति	03	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	कथौटिया	साइट निरीक्षण पूरा हो गया था। खान पट्टे के निष्पादन की शर्त पर अंतिम परिचालन प्रतीक्षित था।
				तोकीसूद नार्थ	मार्च 2016 में सहायक पर्यावरण अभियन्ता को आवेदन प्रस्तुत किया गया।
3	भूमि विपथन/ परिवर्तन	03	राज्य सरकार	तोकीसूद नार्थ	• सरकारी भूमि के लिए संबंधित जिला प्रशासन से अंतिम स्थानांतरण और लागू स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण शुल्क के लिए मांग पत्र प्रतीक्षित था। • पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि हेतु डी सी, हजारीबाग ने सी एन टी एक्ट के अंतर्गत स्वीकृति लेने की सूचना दी, परंतु इन भूमियों के स्थानांतरण हेतु कोई पत्र व्यवहार प्राप्त नहीं हुआ।
				कथौटिया	• पूर्व आबंटी द्वारा उपार्जित कुल भूमि का 70 *प्रतिशत* मुकदमेबाज़ी के अधीन था। यह तथ्य पूर्व आबंटी ने खान डोजियर (निविदा दस्तावेज का भाग) में नहीं बताये। खनन परिचालन हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी। • हो सकता है कि किया जा रहा कार्य, भूमि उपलब्धता में रूकावटों के कारण, विद्यमान खनन योजना/खान समापन योजना के अनुरूप न हो।
4	विस्फोटक लाईसेंस	03	जिला प्रशासन मैजिस्ट्रेट	कथौटिया	प्रस्तुत किया हुआ है। एन ओ सी खनन पट्टा कार्यान्वयन के पश्चात् स्थानांतरित की जायेगी।

क्रम संख्या	वैधानिक स्वीकृति	पूर्ण किये जाने के लिए महीनों में समय सीमा (सी एम डी पी ए के अनुसार)	स्वीकृति के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण	कोयला खान का नाम	लंबित होने के कारण (प्रारंभ पूर्व प्रतिवेदन के अनुसार)
				मरकी मंगली III	स्वीकृति के लिए आवेदन जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया।
				तोकीसूद नार्थ	जिला प्रशासन द्वारा एन ओ सी देने में देरी।
				ट्रांस दामोदर	जिला मजिस्ट्रेट बंकुरा से एन ओ सी प्रतीक्षित।
5	रेलवे साईडिंग स्वीकृति	03	आंचलिक रेलवे विभाग	तोकीसूद नार्थ	ई सी आर, हाजीपुर के पास लंबित
6	खनन पट्टे की अनुमति देना	03	राज्य खनन विभाग	कथौटिया	सरकारी भूमि और जंगल झाड़ी भूमि से संबंधित मामलों के निपटान हेतु राज्य खनन विभाग/जिला प्रशासन के पास लंबित।
				मरकी मंगली III	• जिला खनन अधिकारी यावतमाल ने पर्यावरण मंजूरी, स्टाम्प शुल्क, डी जी पी एस सर्वे और रोड बनाने के लिए ₹15 करोड़ जमा करने से संबंधित अनुपालन करने की सलाह दी। • इस संबंध में डी एम ओ, यावतमाल को उत्तर प्रस्तुत किया गया। • स्वीकृति प्रतीक्षित
				तोकीसूद नार्थ	• खनन पट्टे के कार्यान्वयन के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में संशोधन किया गया और इस संशोधन के आधार पर मांग पत्र प्राप्त हुआ। • सहायक खनन अधिकारी, हजारीबाग से स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण शुल्क में संशोधन की तिथि से 06 महीने का अतिरिक्त समय देने का निवेदन किया गया। • उत्तर प्रतीक्षित
				गारे पालमा IV/7	• पट्टे के कार्यान्वयन के लिए शुल्क जमा कर दिया गया। मोनेट इस्पात ऊर्जा लिमिटेड (एम आई ई एल) ने ई यू पी तथा खोज लागत के संबंध में कुछ मामले उठाये जोकि पूर्व आबंटी से जुड़े हुए थे। • इसके अतिरिक्त एम आर डी छत्तीसगढ़ ने खनन पट्टे की अनुमति देने के लिए पहले वन विभाग से मंजूरी लेने के आदेश दिये जोकि निधान आदेशों के कार्यान्वयन

क्रम संख्या	वैधानिक स्वीकृति	पूर्ण किये जाने के लिए महीनों में समय सीमा (सी एम डी पी ए के अनुसार)	स्वीकृति के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण	कोयला खान का नाम	लंबित होने के कारण (प्रारंभ पूर्व प्रतिवेदन के अनुसार)
					के समय लागू नहीं था क्योंकि पूर्व आबंटी के साथ कार्यान्वित तथा बाद में निधान आदेशों द्वारा एम आई ई एल को स्थानांतरित खनन के पट्टे के अनुसार विद्यमान खान सीमा में वन क्षेत्र सम्मिलित नहीं था। सचिव, खान, छत्तीसगढ़ ने एम आर डी, छत्तीसगढ़ को एम आई ई एल के आवेदन का परीक्षण करके उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

*****

अनुलग्नक VIII *(पैरा 7.2 संदर्भ में लायें)*

अनुसूची-II खानों के लिए आवंटी के साथ लम्बित प्रक्रिया

क्रम संख्या	वैधानिक स्वीकृति	पूर्ण किये जाने के लिए महीनों में समय सीमा (सी एम डी पी ए के अनुसार)	स्वीकृति के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण	कोयला खान का नाम	लंबित होने के कारण (प्रारंभ पूर्व प्रतिवेदन के अनुसार)
1	भू–जल अनुमति	03	केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (सी जी डब्ल्यू ए)	मरकी मंगली III	हाईड्रोजीओलोजिकल रिपोर्ट तैयार होने के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा जोकि अभी प्रक्रिया के अधीन है।
2	पर्यावरण अनुमति (ई सी)	03	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम ओई एफ)	मरकी मंगली III	आवेदन समय रहते प्रस्तुत किया गया था परन्तु एम ओ ई एफ ने नई ई सी लेने के निर्देश दे दिये। परामर्शदाता ने ई एम पी/ई आई ए दस्तावेज बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।
3	बिजली की आपूर्ति	03	राज्य बिजली बोर्ड	ट्रांस दामोदर	विद्युत की आपूर्ति पूर्व आबंटी के उपकेन्द्र से की जा रही थी। नये कनेक्शन या विद्यमान कनेक्शन के स्थानांतरण हेतु एम डी ओ की नियुक्ति आवश्यक थी।
4	डी जी एम एस से शुरू करने की स्वीकृति	03	डी जी एम एस का आंचलिक कार्यालय	मरकी मंगली III	डी जी एम एस, धनबाद को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। डी जी एम एस के अनुसार एक नया आवेदन प्रस्तुत किया जाना था। नये आवेदन का प्रस्तुतीकरण खनन पट्टे के पूर्ण होने संचालन की सहमती और पर्यावरण अनुमति के कारण प्रतीक्षित था।
5	एस्क्रो खाता खोलना	06	कोयला मंत्रालय	ट्रांस दामोदर	एम सी पी स्वीकृत नहीं थी। जमा की जाने वाली वार्षिक राशि उपलब्ध नहीं थी। एम सी पी तैयार की जानी थी जिसके लिए आर क्यू पी की नियुक्ति की जानी थी।
				तोकीसूद नॉर्थ	वैधानिक अनुमति प्रतीक्षित
6	खान समापन योजना (एम सी पी)	10 (संशोधित एम सी पी की स्वीकृति के लिए)	कोयला मंत्रालय	मरकी मंगली III	• पूर्व आबंटी ने एम सी पी के लिए स्वीकृति नहीं ली थी। अतः एक नई एम सी पी तैयार की गई और एम ओ सी की स्वीकृति के लिए भेजी गई। • एक्सपर्ट समिति ने पाया कि पूर्व आबंटी ने खनन योजना का अनुपालन नहीं किया, अतः एम सी पी के साथ खान योजना को पुनः प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

क्रम संख्या	वैधानिक स्वीकृति	पूर्ण किये जाने के लिए महीनों में समय सीमा (सी एम डी पी ए के अनुसार)	स्वीकृति के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण	कोयला खान का नाम	लंबित होने के कारण (प्रारंभ पूर्व प्रतिवेदन के अनुसार)
					• नई एम सी पी तैयारी के अधीन है और मंत्रालय को यह सूचना दी गई कि स्वीकृत खान योजना के अनुसार नई एम सी पी प्रस्तुत की जायेगी।

*****

अनुलग्नक IX *(पैरा 8.4 संदर्भ में लायें)*

मामलों का विवरण जहां अतिरिक्त लेवी प्राप्त नही हुई या कम प्राप्त हुई

क्रम संख्या	कोयला खान का नाम	पूर्व आबंटी का नाम [कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015 के अनुसार]	कोयले की उत्पादित मात्रा 31.03.2015 तक (टन में)	₹295 पी एम टी की दर से जमा की जाने वाली राशि (₹ हजारो में)	आबंटी द्वारा जमा की गई रकम (₹ हजारो में)	कम जमा की गई रकम (₹ हजारो में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5-6)
1	सरीसातोल्ली	कोलकाता विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड	35419441	10448735	10448735	0
2	बेलगांव	सनफ्लैग आयरन और स्टील कम्पनी लिमिटेड	1058977	312398	312398	0
3	तालाबीरा–I	हिंडाल्को इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	20340898	6000565	6000565	0
4-5	परसा (ई.) एवं कांता बासन	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	4931907	1454913	1454913	0
6	चोटिया	प्रकाश ईन्डस्ट्रीज लिमिटेड	8442725	2490604	2490604	0
7	गारे पालमा IV/1	जिंदल ईन्डस्ट्रीज लिमिटेड	70584161	20822327	20822327	0
8-9	गारे पालमा IV/2-3	जिंदल पावर लिमिटेड	40176384	11852033	11852033	0
10	अर्धग्राम	सोवा इस्पात लिमिटेड, जय बालाजी स्पांज लिमिटेड	764917	225651	216358	9293
11	गारे पालमा IV/7	रायपुर एलॉयज एवं स्टील लिमिटेड	4834912	1426299	1426299	0
12	मरकी मंगली - I	बी एस इस्पात लिमिटेड	191566	56512	56420	92

क्रम संख्या	कोयला खान का नाम	पूर्व आबंटी का नाम [कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015 के अनुसार]	कोयले की उत्पादित मात्रा 31.03.2015 तक (टन में)	₹295 पी एम टी की दर से जमा की जाने वाली राशि (₹ हजारो में)	आबंटी द्वारा जमा की गई रकम (₹ हजारो में)	कम जमा की गई रकम (₹ हजारो में)
13	अमेलिया नार्थ	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	1504431	443807	443807	0
14	पर्बतपुर सेन्टल	ईल्कट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड	1201816	354536	354536	0
15	कथौटिया	उषा मार्टिन लिमिटेड	2838266	837288	837288	0
16	पचवारा सेंट्रल	पैनएम कोल मांइस लिमिटेड (पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एम्टा कोल लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम)	52682567	15541357	3914636	11626721
17-22	बरांज I से IV, किलोनी एण्ड मनोरा डीप	कर्नाटका एम्टा कोल माईन्स लिमिटेड (कर्नाटका पॉवर कोरपोरेशन लिमिटेड और एम्टा कोल लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम)	15193208	4481996	1104324	3377672
23	गारे पालमा IV/5	मोन्नेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड	8573105	2529066	2529066	0
24	मरकी मंगली - II	श्री वीरांगना स्टील्स लिमिटेड	153577	45305	45305	0
25	मरकी मंगली -III	श्री वीरांगना स्टील्स लिमिटेड	768172	226611	226611	0
26	गारे पालमा IV/4	जयसवाल नेको लिमिटेड	3808493	1123505	1123505	0
27	सियाल घोगरी	प्रिज्म सीमेन्ट लिमिटेड	1181	348	348	0
28	तोकीसूद नार्थ	जी वी के पॉवर (गोंविदवाल साहिब) लिमिटेड	1000	295	295	0

क्रम संख्या	कोयला खान का नाम	पूर्व आबंटी का नाम [कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015 के अनुसार]	कोयले की उत्पादित मात्रा 31.03.2015 तक (टन में)	₹295 पी एम टी की दर से जमा की जाने वाली राशि (₹ हजारो में)	आबंटी द्वारा जमा की गई रकम (₹ हजारो में)	कम जमा की गई रकम (₹ हजारो में)
29	मंडला नार्थ	जयप्रकाश एसोसिएटस	0	0	0	0
30	कागरा जोयदेव	दामोदर घाटी निगम	0	0	0	0
31	बिचारपुर	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड	0	0	0	0
32	ट्रांस दामोदर	पश्चिमी बंगाल खनिज विकास एवं व्यापार निगम लिमेटेड	2119359	625211	625211	0
33-34	तारा (ई) और तारा (वे)	बंगाल एम्टा कोल माइन्स लिमिटेड (डब्ल्यू पी डी सी एल, दुर्गा प्रोजेक्ट लिमिटेड और एम्टा कोल लिमिटेड का संयुक्त उपकरण)	53836980	15881909	0	15881909
35-36	गंगारामचक और गंगारामचक भदोलिया	बंगाल एम्टा कोल माइन्स लिमिटेड (डब्ल्यू पी डी सी एल, दुर्गा प्रौजेक्टस लिमिटेड और एम्टा कोल लिमिटेड का संयुक्त उपकरण)	386822	114112	0	114112
37	बरजोरा	बंगाल एम्टा कोल मांइस लिमिटेड (डब्ल्यू पी डी सी एल, दुर्गापुर प्रौजेक्टस लिमिटेड व एम्टा कोल लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम)	1098772	324138	0	324138
38	पचवारा नार्थ	बंगाल एम्टा कोल मांइस लिमिटेड (डब्ल्यू पी डी सी एल, दुर्गापुर प्रौजेक्टस लिमिटेड व एम्टा कोल लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम)	4094873	1207988	0	1207988

क्रम संख्या	कोयला खान का नाम	पूर्व आबंटी का नाम [कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015 के अनुसार]	कोयले की उत्पादित मात्रा 31.03.2015 तक (टन में)	₹295 पी एम टी की दर से जमा की जाने वाली राशि (₹ हजारो में)	आबंटी द्वारा जमा की गई रकम (₹ हजारो में)	कम जमा की गई रकम (₹ हजारो में)
39	बरजोरा (नार्थ)	डी वी सी एम्टा लिमिटेड (ड वी सी व एम्टा कोल लिमिटेड का सयुक्त उपक्रम)	5542741	1635109	0	1635109
40	नामचिक–नामफुक	अरूणाचल प्रदेश खनिज विकास एवं व्यापार निगम	1073000	316535	0	316535
41-42	गोतीतोरिया (ई) और (वे)	बी एल ए ईन्डस्ट्रीज लिमेटेड	2955989	872017	0	872017
कुल			**344580240**	**101651170**	**66285584**	**35365586**